राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक :– 28 JAN 2020

आदेश

विकासकर्ता द्वारा एक बार भवन मानचित्र अनुमोदन कराने के पश्चात मांग पत्र में उल्लेखित बैटरमेन्ट लेवी की राशि जमा करवा दी जाती है, पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्र आवेदक की प्रार्थना पर निरस्त किये जाने अथवा संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराये जाने की स्थिति में विकासकर्ता द्वारा बैटरमेन्ट लेवी वापस मांगी जाती है। भवन विनियमों में बैटरमेन्ट लेवी लौटाये जाने का प्रावधान नही होने के कारण ऐसे प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. यदि कोई विकासकर्ता पूर्व में अतिरिक्त एफ.ए.आर. के साथ अनुमोदित मानचित्र के स्थान पर केवल Standard FAR के मानचित्र उपयोग में लेना चाहता है, तो संशोधित मानचित्र स्वीकृत करवाये जाने आवश्यक हैं। पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाते समय Refundable धरोहर राशि के साथ ही उपयोग में नही ली गयी अतिरिक्त FAR हेतु जमा राशि लौटायी जावे।
2. आवेदक द्वारा पूर्व अनुमोदित मानचित्र निरस्त किये जाने की मांग किये जाने पर जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण की बी.पी.सी.(बी.पी.)/न्यास स्तरीय भवन अनुमोदन समिति द्वारा मानचित्र निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा जमा करायी गयी सम्पूर्ण रिफेण्डेबल धरोहर राशि व जमा करायी गयी बैटरमेन्ट लेवी में से 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय काटते हुए शेष राशि आवेदक को लौटायी जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल) 22/1/20

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगराय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम